



आवेदन की तिथि 22/9/15
 अर्जित की तिथि 23/9/15
 निर्गत तिथि 26/9/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

शिविर न्यायालय तिथि 21/8/15 स्थान
 दाखिल खारिज केश सं० १३ (.....) 2014-15

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
21/9/15	<p>आवेदक / आवेदिका <u>श्री अग्रनाथ झा</u> पिता <u>स्व० मंगला प्रसाद झा</u> सा० <u>भुनीश्वर</u> थाना <u>पुटुकी</u> जिला धनबाद ने नामानतरण के लिए आवेदन किया है। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक / आवेदिका ने मौजा <u>आमठारा</u> मौजा नं० <u>०१</u> खाता नं० <u>11</u> प्लॉट नं० <u>142</u> रकबा <u>1.65 ए०</u> दलील सं० <u>6994</u> दिनांक <u>21.8.15</u> के द्वारा श्री / श्रीमति <u>सुशीला सिंह</u> में प्राप्त किया है। उपस्थित व्यक्तियों को दाखिल खारिज के संबंध में पढकर सूचित किया गया। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक का जोंच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार 1. भूमि रैयती खाते की है। 2. जमाबंदी सं० <u>454</u> मे विक्रेता / विक्रेती <u>नील</u> के नाम से लगान रसीद कट रहा है। 3. आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में है। 4. निबंधन धनबाद / कल्कत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर-मुद्रक की-सशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। 5. प्रश्नगत भूमि गैरआवाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० क्षेत्र एवं सी०एन०टी०एक्ट 46 (1 बी०) से बाहर है। अतः हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जोंच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन माँगें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p>	

मेरे द्वारा फोटो कोपी
 किया गया 26/9/15
 प्रतिलिपिक / टंकक

मैने मिलान किया
 सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
 26/9/15
 प्रधान सहायक
 अंचल कार्यालय
 धनबाद



आवेदन की तिथि 22/9/15
 अधिसूचना की तिथि 23/9/15
 निर्गत तिथि 26/9/15

कार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (शैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला- धनबाद, अनुमण्डल-धनबाद अंचल-धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बदलाव हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	दा० खा० 83 (II) 15-16	आमावादा	धनबाद 09	खाता- 11 प्लॉट- 142 रकबा- 1.65 बीघा लगान- 2.00 रुपया	अंचल अधिकारी धनबाद	बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 6994 21.8.15	पुराना जमा०- 454 पुराना शैयत- श्री मति सुशीला सिंह नया शैयत- श्री अमनाज शर्मा पिता स्व० नगीन प्रसाद शर्मा सा०- मुनीडीह	जमा सं० _____ में दर्ज किया	मैंने मिलान किया
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ज्ञापक संख्या..... ता०..... 2015
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

भेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया 26/9/15
 प्रतिलिपिक / टंकक

प्राणित सच्ची प्रतिलिपि
 26/9/15
 अधीन सहायक अंचल कार्यालय धनबाद



आवेदन की तिथि 22/9/15

आधिसूचना कि तिथि 23/9/15

निर्गत तिथि 26/9/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

शिविर न्यायालय तिथि 22/9/15 स्थान धनबाद
दाखिल खारिज केश सं० 22 (11) 2014-15

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
22/9/15	<p>आवेदक / आवेदिका <u>श्री अग्रनाथ शर्मा</u> पिता <u>स्व० नरनाथ प्र० शर्मा</u> सा० <u>मुनीछीर</u> थाना <u>पूरकी</u></p> <p>जिला धनबाद ने नामानतरण के लिए आवेदन किया है।</p> <p>आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक / आवेदिका ने</p> <p>मौजा <u>खात्रहैला</u> मौजा नं० <u>08</u> खाता नं० <u>05</u> प्लॉट नं० <u>232</u> <u>233, 239</u> रकबा <u>2.47 बीघा</u> दलील सं० <u>6992</u> दिनांक <u>21</u> <u>5-15</u> के द्वारा श्री / श्रीमति <u>सुशीला सिंह</u> में प्राप्त किया है।</p> <p>उपस्थित व्यक्तियों को दाखिल खारिज के संबंध में पढकर सूचित किया गया। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि रैयती खाते की है। 2. जमाबंदी सं० <u>5239</u> मे विकेता / विकेती <u>नीज</u> के नाम से लगान रसीद कट रहा है। 3. आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में है। 4. निबंधन धनबाद / कल्कता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर-मुद्रांक की सखि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। 5. प्रश्नगत भूमि गैरआवाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० क्षेत्र एवं सी०एन०टी०एक्ट 46 (1 बी०) से बाहर है। <p>अतः हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p> <p>अंचल अधिकारी, धनबाद।</p>	
	<p>मेरे द्वारा फोटो कोपी किआ गया <u>22/9/15</u> प्रतिलिपिक / टंकक</p> <p>मैने मिलान किया <u>सहायक</u></p> <p>प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि <u>22/9/15</u> प्रधान सहायक अंचल कार्यालय धनबाद</p>	



सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला- धनबाद, अनुमण्डल-धनबाद अंचल-धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

आवेदन की तिथि 02/09/15
अधिसूचना की तिथि 02/09/15
निर्गत तिथि 02/09/15

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकरण तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	दा० खा० 82 (II) 15-16	सशयहली	धनबाद 08	खाता- 05 प्लॉट- 237, 238, 239 रकबा- 2.47 डीए लगान- 2.00 रुपय	अंचल अधिकारी धनबाद	बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 6992 21.8.15	पुराना जमा०- 5239 पुराना रैयत- श्रीमति सुशीला सिंह नया रैयत- श्री अमनाथ शर्मा पिता स्व० नगीना प्रसाद शर्मा सा०- मुनीडीह	जमा सं० _____ में दर्ज किया मैंने मिलान किया	

शापांक संख्या..... ता०..... 2015
कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

भरे द्वारा फोटो कोपी
किया गया 02/09/15
प्रतिलिपिक/टंकक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
02/09/15
2 अधीन सहायक
अंचल कार्यालय
धनबाद